FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत.....मुकाम.....धौलपुर.....

.....सियाराम .....बनाम.....सरकार.....

मुकदमा.....नं0 .....सन्.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
14.06.2018	अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित। अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा अपीलाण्ट सियाराम की मृत्यु होना सूचित करते हुए, प्रा0पत्र धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया जाकर उसके वारिसान को रिकार्ड पर लेने की आवश्यकता बताई है। उक्त प्रा0पत्र में अपीलाण्ट की मृत्यु की तिथि अंकित नहीं है। न्यायालय के इस प्रश्न पर कि मृत्यु कब हुई। अभिभाषक अपीलाण्ट श्री विजय सिंह कुछ नहीं बता पायें। नियमानुसार अपीलाण्ट की मृत्यु की दशा में स्वयं अपीलाण्ट पक्ष को ही वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही करनी होती है। किन्तु अभिभाषक अपीलाण्ट ने ऐसा ना करते हुए, प्रा0पत्र के माध्यम से मात्र न्यायालय को मृत्यु की सूचना दी गयी है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत प्रा0 पत्र में भी त्रुटि की गयी है। प्रा0 पत्र प्रार्थी अपीलाण्ट सियाराम की ओर से जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया है। जबकि उक्त प्रार्थना पत्र में अपीलाण्ट सियाराम की मृत्यु होना अंकित है जब अपीलाण्ट सियाराम फौत हो चुका है तो उसके द्वारा जरिये अभिभाषक प्रा0पत्र किस प्रकार लगाया जा सकता है। इस प्रकार अपीलाण्ट अभिभाषक द्वारा जो प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है वह अर्थहीन है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से स्पष्ट जाहिर है कि उनके द्वारा मात्र प्रकरण को देरीना करने की मंशा से प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी को मृतक के वारिसो को रिकार्ड पर लेना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट अबेट में खारिज की जाती है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। (अनिल कुमार वार्ष्णेय) भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official